

24. जाप पत्र मूल वाद के संलग्न पेश।
चूंकि मूल वाद खारिज किया जा चुका है
अतः जाप पत्र निरस्त किया जाता है जाप
पत्र फैसला सुनार नंबर से कम होकर
मूल वाद के संलग्न दायिल दफ्तार हो

